Issue of Ration Cards on bogus Certificates

1211. SHRl SUNIL KUMAR PATTNAIK; Will the Minister of FOOD AND CTVIL SUPPLIES be pleased to state;

Ca) -whether it is a fact that some anti-social elements are issuing bogus certificates in the name of B.D.Os. and Pradhans of various places throughout the country for issue of ration cards for consumers residing under Circle No. 43 of Food and Civil Supplies Department, if so, whether any inquiry has been conducted into the matter-

(b) if so, the results thereof;

(c) the number of such certificates issued by B.D.Os. and Pradhans of different places, received by Circle No. 43 of Food and Civil Supplies Department during the last three years; and

(d) whether any scrutiny has been made to ascertain the genuineness of such eretiftcates, if so, the details thereof, and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI GHULAM NABI AZAD): (a) to (c) According to information furnished by Delhi Administration, no general enquiry on the question of issue of bogus certificates in the name of Block Development Officer's (BDO) and Pradhans has been conducted by them. Certificates from BDOs and Pradhans, wherever received alongwith applications for issue of ration cards are not the sole basis for issue of ration cards. Ration cards are invariably issued after conducting appropriate local enquiries.

(d) Verification of authenticity of certificates by making a reference to BDOs and Pradhans is not considered necessary because these are not the basis for issue of ration cards.

दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान में सहायक मीटर रीड़रो की भर्ती

1212. **श्री राम नरेश कुशवाहा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि दिल्ली जल पूर्ति एवं मल व्ययन संस्थान में सहायक मीटर रीडरों के पदों के लिए साक्षात्कार मार्च, 1983 के महीने में लिया गया था तथा कई व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित व्यक्तियों को कब तक नियुक्त कर दिए जाने की सम्भावाना है :

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह): (क) चपरासी सहायक मीटर रीडर तथा सह-बिल वितरक के पदों के लिये साक्षात्कार माह जून और जुलाई, 1983 में लिये गये थे न कि मार्च 1983 में 301 सफल उम्मीदवारों में से 190 उम्मीदवारों को नियमित नियुक्तियां दी गई हैं । पदों को भरने पर जनवरी, 1984 में लाये गये प्रतिबन्ध के कारण शेष पदों पदों पर विचार नहीं किया जा सकेगा ।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता ।

मानसून न आने के कारण हुई हानि

1213. **श्री सत्यपाल मलिक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष पर्याप्त वर्षा न होने के कारण फसलों को विशेषकर धान की फसल को अनुमानतः कितना नुकसान हुआ है ; और

(ख) किसानों को नुकसान की क्षतिपूर्ति करने तथा अन्य सुविधाएं देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाएं हैं ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा):

(क) यह कहा नहीं जा सका है कि इस वर्ष पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है यद्यपि कुछ क्षेत्रों में वर्षा कम हुई है। वर्ष 1986–87 के लिए फसल उत्पादन के अंतिम अनुमान राज्यों से अभी देय नहीं हुए हैं। इसलिए इस स्थिति में उत्पादन को संभावित हानि का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

(ख) प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली हानि के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति करना संभव नहीं है। तथापि, केन्द्रीय सरकार उन छोटे तथा सीमान्त किसानों, जिनकी प्राकृतिक आपदाओं से 50 प्रतिशत से अधिक फसलों को क्षति हुई कृषि आदानों की खरीद करने के लिए 200 रूपए प्रति हैक्टार राज सहायता उपलब्ध करने हेय राज्य सरकारों को सहायता देती हैं। इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में व्यापक फसल बीमा योजना लागू की गई है जिसके अधीन प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की क्षति के समय प्रभावित किसानों की क्षतिपूर्ति के रूप में 150 प्रतिशत ऋण की राशि प्रदान की जाएगी।

12 NOON

RE ALLEGED INSULTING TREATMENT METED OUT TO A MEMBER OF PARLAMENT

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : सभापति जी, मैंने आप को ब्रीच आफ प्रिविलेज का नोटिस दिया है। मैं बहुत गम्भीर सवाल पर आप का ध्यान दो मिनट खींचना चाहता हूं।

इस समय इस देश में सर्वाधिक सत्ता सम्पन्न संस्था संसद और संसद के सदस्यों की जितनी अवमानता नौकरशाही के लोग करते हैं उतनी शायद किसी की नहीं होती। एक वकील से भी कांटेम्ट आफ कोर्ट के डर से दुर्व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन माननीय सदस्यों से दुर्व्यवहार करते, अपमानित करने में भी वे पीछे नहीं रहते। मेरे साथ एक ऐसा ही केस हुआ है। श्री पी० कुमार और श्री अक्षय भट्ट, दो अफसर मेरे घर 10 तारीख को गये। मेरे घर पर कोई नहीं था, मैं भी नहीं था, । मेरी पत्नी नहीं थी, मेरे बच्चे नहीं थे एक चार साल के बच्चे के साथ मेरे रिस्तेदार की औरत थी। उन लोगों ने घर खाली करते का हुक्म दिया। जब पुलिस को देखा तो अगल-बगल के लोग आ गए। उन लोगों ने पूछा क्या आपके पास कोर्ट के आर्डर हैं तो कहा हां हैं।

MR. CHAIRMAN: No, no. You only refer to the matter relating to you.

श्री राम अवधेश सिंह : मैं उसी पर आ रहा हूं। जब वे लोग सामान फेंकने लगे तो उन्होंने पूछा सूची बनाई है तो उन्होंने कहा कि सूची नहीं बनाई। एम एल ए, एम पी तो गुन्डे होते है उनके साथ गुन्डों जैसा व्यवहार ही किया

MR. CHAIRMAN: No. All that is not relevant. Please hear me, Mr. Ram Awadesh Singh. I permitted you to mention only that point in which some insult was offered to a Member of Parliament. Please confine yourself to that.

SHRI RAM AWADESH SINGH? I am coming to that.

MR. CHAIRMAN: Nothing about the eviction order can be mentioned.

श्री राम अवधेश सिंह : जब नहीं माने और सामान फैकने लगे तो साढे चार बजे तक मेरी पत्नी आ गयी। वकील को बुलवाया। जब वकील आया तो वकील ने कहा कि क्या इन्वेन्टरी बनाई है तो कहा कि आप कौन होते हैं इन्वेन्टरी पूछने वाले। उसने कहा मैं वकील हूं, मुझे पूरा हक है इसके बारे में पूछने का। तब वह बोले आप गुन्डे एम पी के वकील हैं। उन्होंने कहा कि तुम वह कांटेम्प्ट आफ